भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1974
दिनांक 03.03.2020/ 13 फाल्गुन, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय ध्वज का व्यक्तिगत उपयोग

1974. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने किसी भी राजनीतिक, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के व्यक्तिगत उपयोग को रोकने और पार्टियों को राष्ट्रीय ध्वज के मध्य या किसी अन्य भाग में अपने चुनाव चिन्हों को प्रदर्शित करने से रोकने के लिए के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 का इस संबंध में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग/प्रदर्शन/ध्वजारोहण भारतीय झंडा संहिता, 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 से विनियमित होता है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 के अंतर्गत दंडनीय है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन का कोई प्रस्ताव गृह मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है, क्योंकि इस अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों को पर्याप्त समझा गया है।

*****